

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ सिंह  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक  
प्राविधिक शिक्षा,  
उ0प्र0 कानपुर।

(1 ए10 170 (3130))

17/12/10  
07/12/10

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2010

विषय:- डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में फीस एवं विभिन्न मानकों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16810/ई-35-एक्स-विविध, दिनांक 15-11-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-278/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-12(बी)/2002 दिनांक 27-5-2003 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-4 में निर्धारित शैक्षणिक स्टाफ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर / कला अनुदेशकों का समेकित वेतन तथा प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-6 में निर्धारित शिक्षण शुल्क रू0 9000/- एवं विकास शुल्क रू0 5000/- को सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कृपया निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	विवरण	शासनादेश संख्या-278/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-12(बी)/2002 दिनांक 27-5-2003 द्वारा पूर्व निर्धारित दरें (धनराशि रू0 में)	नई दरें (धनराशि रू0 में)
1	शैक्षणिक स्टाफ	3,000/-	10,000/-
2	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/कला अनुदेशक	5,000/-	6000/-
3	शिक्षण शुल्क रू0 9000/- तथा विकास शुल्क रू0 5000/-	14,000/-	21,000/-

2-- यह आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

भवदीय,  
Rph  
(रवीन्द्र नाथ सिंह)  
अनु सचिव।